राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

लक्ष्य

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धियाँ एवं विकसित मुख्य सुविधाएँ:--

1. गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित परियोजनाऐं एवं लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाऐं।
2. यौन रोग उपचार एवं नियंत्रण।
3. रक्त सुरक्षा।
4. एकीकृत परामर्श एवं जॉच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.)
5. कण्डोम प्रमोशन।
6. एच.आई.वी. / एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम।
7. अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण।
8. स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव।
9. ए.आर.टी. सेन्टर।
10. सेन्टीनल सर्विलैन्स।
11. सूचना, शिक्षा एवं संचार।
12. स्टेट लेवल रेडरसल ग्रीवेन्स कमेटी।
13. E.Q.A.S. (External Quality Assurance Scheme)
14. मुख्य धारा परियोजना।

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य में राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य एड्स महामारी के प्रसार को रोकना एवं बढ़ती दर को कम करना है।

राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी की गतिविधियों द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वर्ष 2017 18 में किये गये कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

1- **गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाऐं (TI) :** Core जनसंख्या जैसे महिला यौन कर्मियों, पुरूष का पुरूष के साथ यौन संबंध, सुई के जरिये साझा नशा करने वाले तथा ब्रिज जनसंख्या जैसे प्रवासी व ट्रकर्स के उच्च जोखिम व्यवहार को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक रोकथाम को लक्ष्य मानकर एच.आई.वी. संक्रमण की रोकथाम हेतु यौन व्यवहार परिवर्तन के लिए परामर्श, यौन रोग उपचार, निःशुल्क कण्डोम व सुई/सिरिंज वितरण, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 39 लक्षित परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य उच्च जोखिम वर्ग के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है एवं आम जन में एच.आई.वी. संक्रमण के प्रवेश को रोकना है।

2- **यौन रोग उपचार एवं नियन्त्रण** : राज्य में सभी मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों, जिला मुख्यालयों एवं चयनित केन्द्रों के राजकीय अस्पतालों में 53 एस.टी.आई./आर.टी.आई. क्लिनिक कार्यरत है। इन सभी केन्द्रों पर यौन रोगियों को निःशुल्क परामर्श, जांच एवं दवाईयाँ दी जा रही हैं। यौन रोगियों के समय पर इलाज नहीं करवाने की स्थिति में एच. आई.वी./एड्स होने की सम्भावना 10 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। अतः एच.आई.वी. संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु अधिक जोखिम वर्ग के लिये 39 एस.टी.डी. क्लिनिक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यरत हैं।

Total No. of STI/RTI Episodes managed at STD clinics	2017-18 (Upto Feb. 18)
Govt. STD Clinics	125414
NGO STD Clinics	3546

3- **रक्त सुरक्षा** : रक्त सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होने पर वैधानिक रूप से एच.आई.वी., हेपेटाइटिस–सी, हेपेटाइटिस–बी, मलेरिया एवं सिफलिस के संक्रमण से मुक्त रक्त सदैव रक्त बैंकों में उपलब्ध रहे। इसका पर्यवेक्षण कार्य राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी द्वारा किया जा रहा है।

राज्य में 46 रक्त बैंक राज्य सरकार, 6 रक्त बैंक केन्द्र सरकार एवं 68 रक्त बैंक निजी क्षेत्र सहित कुल 120 रक्त बैंकों के माध्यम से जरूरतमंदों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। भारत सरकार (नाको) द्वारा राज्य के 52 रक्त बैंकों को आधुनिकीकरण हेतु चयनित किया गया है जिसमें से 2 मॉडल आर्ट ब्लड बैंक (जयपुर एवं उदयपुर के मेडिकल कॉलेज), 16 मेजर रक्त बैंक, 22 जिला स्तर के रक्त बैंक एवं 14 रक्त अवयव पृथक्कीरण इकाईयाँ हैं। एक रक्त यूनिट से तैयार किये गये अवयवों से कई जरूरतमंदों को लाभ पहुँचाया जा रहा हैं।

Year	Total Blood samples collection	Voluntary Blood Donation Collection
2017-18 (upto Feb. 18)	574238	439675 (76.57%)

इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक/गैर सरकारी क्षेत्र में 20 रक्त अवयव पृथक्कीकरण इकाईयों द्वारा रक्त अवयव उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

4- **एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र (ICTC)** : राज्य में 184 Stand alone ICTC सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों तथा अधिक एच.आई.वी. संक्रमण की दर वाले जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर एवं 1308 Facility Integrated ICTC, 164 PPP ICTC, 3 Mobile FICTC एवं 1 PPP Mobile ICTC कार्यरत है। इन सभी केन्द्रों पर एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धी जानकारी, परामर्श एवं जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इन केन्द्रों पर एच.आई.वी. संक्रमित महिला से नवजात शिशु में संक्रमण के रोकथाम हेतु दवा गर्भवती महिला तथा शिशु को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तथा स्वस्थ्य व सार्थक जीवन हेतु परामर्श व संदर्भ सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती है।

Total HIV tests at Stand alone ICTC during the year 2017-18 (Upto Feb. 18)	Tested			HIV +ve	%+ve
	SA ICTC	FICTC	Total		
General Client	700379	197890	898269	6136	0.68%
ANC Client	548201	632062	1180263	422	0.04%

5- **कण्डोम प्रमोशन** : सोसायटी द्वारा जनसामान्य के बीच कन्डोम उपलब्धता को सरल बनाने हेतु सभी एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाओं में निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है साथ ही सोशियल मार्केटिंग के माध्यम से भी कण्डोम उपलब्धता है।

6- **एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम (RNTCP)** : राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में समन्वय हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। जिसके द्वारा दोनों कार्यक्रमों में उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराया जाता है। दोनों रोग से ग्रसित रोगियों का आपसी सहयोग द्वारा उपचार किया जाता है एवं आपसी रेफरल को भी बढ़ावा दिया जाता है।

7- **अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण** : एड्स रोगियों को कम लागत वाली चिकित्सा की उपलब्धता के अर्न्तगत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों व जिलास्तरीय अस्पतालों में एच.आई.वी./एड्स रोगियों में अवसरवादी संक्रमणों के निदान हेतु एच.आई.वी. पॉजीटिव व्यक्तियों को बी.पी.एल. मानते हुए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क दवा वितरण व चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था की गई है।

8- **स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव** : एच.आई.वी./एड्स रोगियों के उपचार के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को आकस्मिक एक्सपोजर के बाद एच.आई.वी. संक्रमण से बचाने हेतु एन्टीरिट्रो वायरल दवा की उपलब्धता (पी.ई.पी.) सभी एच.आई.वी. जांच केन्द्रों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला अस्पतालों में सुनिश्चित कराई गई है।

9- **ए.आर.टी. सेन्टर** : राज्य में 19 ए.आर.टी. सेन्टर एवं 4 एफ.आई. ए.आर.टी. सेन्टर संचालित हैं, इसके साथ ही 25 लिंक ए.आर.टी. सेन्टर भी कार्यरत है, जहाँ पर एड्स के मरीजों को एन्टी रिट्रो वायरल औषधियॉ निःशुल्क वितरित की जा रही हैं।

फरवरी 2018 तक ए.आर.वी. ड्रग ले रहे कुल व्यक्तियों की संख्या	पुरूष	महिला	बच्चे	अन्य
36639	17635	16033	2936	35

10-**सेन्टीनल सर्वेलैन्स** : निश्चित अवधि, जगह व नमूनों के आधार पर दो वित्तीय वर्षो में एक बार एच.आई.वी. संक्रमण की दर ज्ञात करने हेतु चिन्हित चिकित्सा संस्थानों/एन.जी.ओ. में सेम्पल सर्वे तीन माह की अवधि के लिये करवाया जाता है।

	Sentinel Surveillance	2010-11	2012-13	2014-15	2016-17
1	Prevalence in ANC Site	0.38%	0.32%	0.32%	0.29%
2	Prevalence in FSW Site	1.28%	NA	NA	1.40%
3	Prevalence in MSM Site	NA	NA	NA	4.80%
4	Prevalence in TG Site	NA	NA	NA	2.80%
5	Prevalence in Migrant Site	NA	NA	NA	0.80%
6	Prevalence in Trucker Site	NA	NA	NA	0.40%

वित्तीय वर्ष 2016–17 का सर्वेलैन्स 35 ए.एन.सी. साइट एवं 12 एच.आर.जी. साइट पर तीन माह के लिये चलाया गया, जिसके तहत् 14000 सेम्पल ए.एन.सी. साइट एवं 3000 सेम्पल एच.आर.जी. साइट पर एच.आई.वी. जांच के लिये एकत्रित किये गये।

11-**सूचना, शिक्षा व संचार** : राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभावी एवं कारगर उपकरण है। एड्स जागरूकता अभियानों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में विभिन्न गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलाई जा रही है। नेशनल एड्स कन्ट्रोल संगठन द्वारा निर्देशित विभिन्न दिवसों यथा रक्तदाता

दिवस, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व युवा दिवस, विश्व एड्स दिवस इत्यादि राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित किये जाते हैं।

प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक माध्यम से (समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन) एड्स नियन्त्रण अभियान, प्रोमो, फोन इन प्रोग्राम द्वारा प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। लोक कलाकारों के माध्यम से स्थानीय भाषा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, पारम्परिक मेलों एवं त्यौहार में एड्स जन–चेतना हेतु कार्यक्रम प्रदर्शन एवं आई.ई.सी. सामग्री का वितरण किया जा रहा है। हाल ही में राज्य में राजस्थान लेजिस्लेटर फोरम का गठन किया गया है।

राज्य के 32 जिलों के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों के युवाओं में एच.आई.वी. के प्रति जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के माध्यम से रेड रिबन क्लब बनाए गए हैं। वर्तमान में राज्य में 600 रेड रिबन क्लब कार्यशील हैं।

12-**स्टेट लेवल रिडरसल ग्रीवेन्स कमेटी** - राजस्थान में एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को "छूआछूत एवं भेदभाव" (Stigma and Discrimination) से बचाने व इनके निवारण के लिये स्टेट लेवल रेडरसल ग्रीवेन्स कमेटी का गठन किया गया है। जिसकी नियमित रूप से बैठक होती है।

13-**EQAS** : - External Quality Assurance Scheme के तहत् एच.आई.वी/एड्स सम्बन्धी जांच की गुणवत्ता को कायम रखने हेतु चिन्हित एस.आर.एल. में जांच केन्द्र प्रभारी एवं तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही जांच रिपोर्ट को क्वालिटी चेक हेतु स्टेट रैफरल लेबोरेट्री तथा नेशनल रैफरल लैबोरेट्री स्तर पर भेजे जाते है।

14-**मुख्यधारा परियोजना** : एच.आई.वी. मेनस्ट्रीमिंग एक ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा एच.आई.वी. विषय को समस्त विभागों, संस्थाओं द्वारा संचालित आन्तरिक व बाह्य विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं नीतियों में शामिल किया जाता है। विशेषकर वहाँ, जहाँ एच.आई.वी. विषय पर साधारणतः बात नही की जाती हो। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों फ्रन्टलाईन वर्कस (आंगनबाडी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., स्वयं सहायता समूह एवं आशा) इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) एवं गैर सरकारी संगठनों व सामुदायिक संगठनों आदि को एच.आई.वी./एड्स एवं मुख्यधारा विषय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षणों में एच.आई.वी./एड्स, कलंक एवं भेदभाव कम करना, एचआईवी से जुडी सेवाऐं, यौन संचारित संक्रमण, स्वैच्छिक रक्तदान को बढावा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी पर विषय रखे जाते है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 में 13465 प्रशिक्षिणार्थीयों को लाभान्वित किया गया। 11 सरकारी विभागों द्वारा अपने विभाग के अन्तर्गत एच.आई.वी./एड्स कमेटी का गठन भी किया गया है और एच.आई.वी. विषय पाठ्यक्रम में जोड़ लिया गया है। देशभर में 1097 टोल फ्री टेलीफोन सेवा भी संचालित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में अभी तक 4444 प्रतिभागियों के साथ प्रशिक्षण व एडवोकेसी की गई है।

प्रपत्र – 2
आपकी सूचना के अधिकार के लिये

1.	लोक प्राधिकरण का नाम	–	डॉ. एस.एस. चौहान
	क. पद का नाम	–	परियोजना निदेशक
	ख. पता	–	राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
	ग. दूरभाष	–	0141–2222452, 2225532
2.	लोक सूचना अधिकारी का नाम	–	डॉ. राजेन्द्र मित्तल
	क. पद का नाम	–	उप निदेशक (रक्त सुरक्षा)
	ख. पता	–	राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
	ग. दूरभाष	–	0141–2222452, 2225532
3.	आवेदन शुल्क प्रार्थना पत्र के साथ	–	रु. 10/–
4.	अभिलेखों के निरीक्षण के लिये	–	प्रथम घंटे – कोई फीस नही। अतिरिक्त प्रत्येक 15 मिनिट या उसके भाग के लिये 5/– रु.
5.	प्रतिलिपि (ए–4 या ए–3 आकार में)	–	रु. 2/– प्रति पृष्ठ
6.	प्रतिलिपि (बडे आकार के पृष्ठ)	–	वास्तविक प्रभार अथवा लागत कीमत
7.	सैम्पल या मॉडल के लिये	–	वास्तविक लागत कीमत
8.	डिस्क या फ्लॉपी में	–	50/– प्रति फ्लॉपी या डिस्क
9.	मुद्रित सूचना के लिये	–	नियत मूल्य या प्रकाशन के उद्धरणों की प्रति पृष्ठ फोटो के लिये रु. 2/–

- शुल्क राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर के नाम से जमा करायी जा सकती है।

RAJASTHAN STATE AIDS CONTROL SOCIETY
CONTACT DETAILS OF KEY OFFICERS OF THE PROJECT

S. No.	Name of Officers	Designation	Mobile	Std Code	Contact No. (O)	FAX No	E-Mail
1.	Dr. S.S. Chauhan	Project Director	94143-18504	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
2.	Dr. Rajendra Mittal	Addl. Project Director	94142-76386	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
3.	Mr. Sushil Sharma	Joint Director (Finance)	94140-27034	0141	2222452	2221792	jdf.rsacs@gmail.com
4.	Dr. Rajendra Mittal (Add. Charge)	Dy. Director (BS-I) & Member Secretary (RSBTC)	94142-76386	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
5.	Dr. Rajendra Mittal (Add. Charge)	Dy. Director (BS-II)	94142-76386	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
6.	Dr. Rajendra Mittal (Add. Charge)	Dy. Director (STI)	94142-76386	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
7.	Mr. Pradeep Chaudhary	Joint Director (IEC)	94140-63771	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
8.	Mr. Sunil Kumar Bishnoi	Joint Director (TI)	94145-92426	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com ti.rsacs@gmail.com
9.	Mr. Satveer Lamba (Add. Charge)	Joint Director (Basic Services)	9413-505385	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
10.	Mr. Prakash Narwani	M & E Officer	95496-50420	0141	2222452	2221792	mersacs@yahoo.com
11.	Mr. Sitaram Yadav	Dy. Director (Mainstreaming)	99287-37260	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
12.	Mr. R.K. Soni (Add. Charge)	Asst. Director (C.S.T.)	94142-72444	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
13.	Mr. Manprakash Gupta	Asst. Director (Procurement)	94140-03862	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
14.	Mr. Suresh Kumar Saini	Asstt. Director (Finance)	99280-01337	0141	2222452	2221792	rajasthansacs@gmail.com
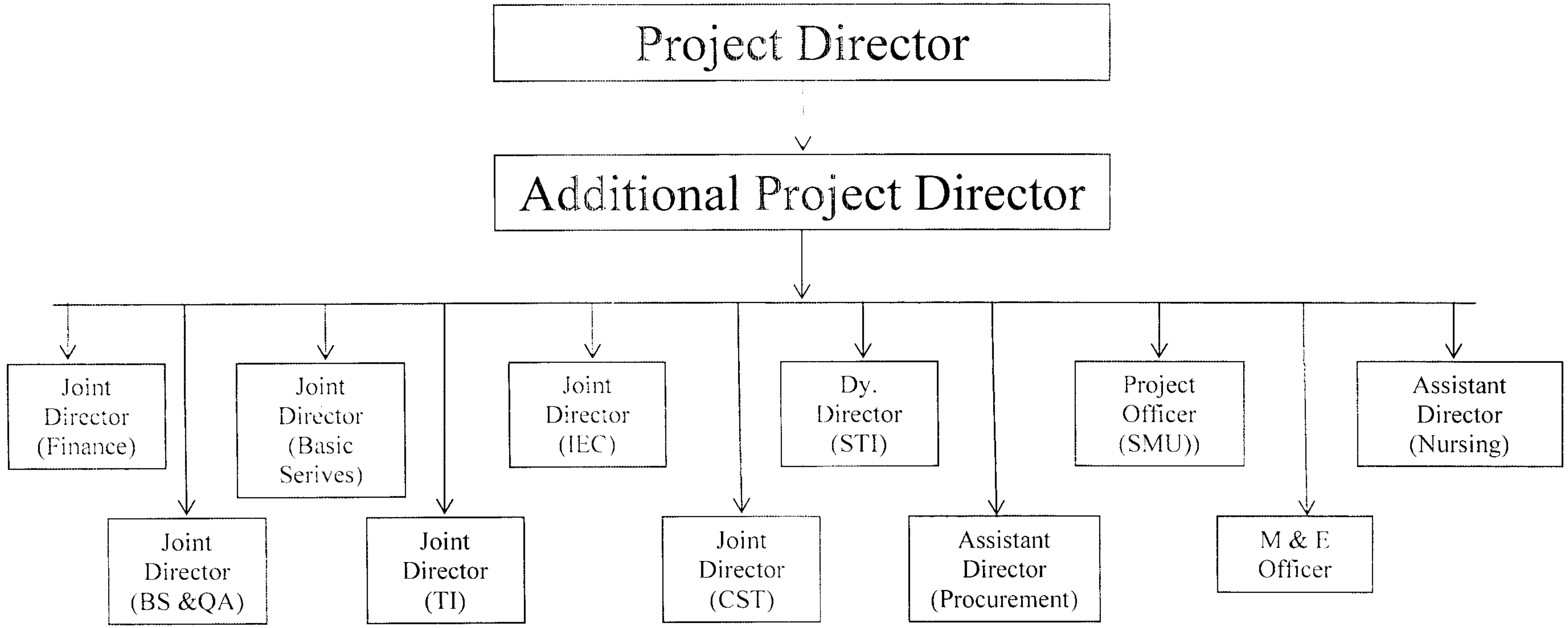
Rajasthan State AIDS Control Society, Jaipur